रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 1993/श्रावण 28, 1915
No. 163] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1993/SRAVANA 28, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1993

फा.सं. आरटी-11034/1/93-एमवी एल :— चुंगी, इसके यौक्तिकीकरण और इसकी वसूली की पद्धति में सुधारों आदि से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. समिति का गठन निम्नलिखित को शामिल करके किया जाएगा :—

1. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल —अध्यक्ष
2. मुख्य मंत्री, बिहार —सदस्य
3. मुख्य मंत्री, गुजरात —सदस्य

4. मुख्य मंत्री, हरियाणा —सदस्य

5. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र —सदस्य

6. मुख्य मंत्री, उड़ीसा —सदस्य

7. डा. राजा चलैय्या, —सह-सदस्य
भारत सरकार के वित्तीय सलाहकार

3. श्री एस. पी. बागला, सचिव, भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय समिति के सचिव होंगे।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) चुंगी लगाने वाले राज्यों में चुंगी लगाने और इसकी वसूली की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना और विलम्ब, कठिनाई और इसकी चोरी से संबंधित, यदि कोई समस्याएं हों, तो उनका पता लगाना।

(ii) चुंगी ढांचे और इसकी वसूली की पद्धति के विभिन्न प्रस्तावों की जांच करना (जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के सुझाव के अनुसार), और

(iii) चुंगी लगाने तथा इसकी वसूली की पद्धति को युक्तिसंगत बनाने और राज्य तथा शहरी स्थानीय निकाय के संसाधनों को प्रभावित किए बिना चोरी, विलम्ब और कठिनाई को कम करने के सुझाव देना तथा अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करना।

5. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति जैसा आवश्यक समझे अपने सुप्रवाही दक्षतापूर्ण कार्य करने के लिए अपनी प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी।

6. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय इस समिति के लिए सचिवालय प्रदान करेगा।

7. समिति 31 जनवरी, 1994 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8. इसके द्वारा दिनांक 13 अगस्त, 1993 का पहले का संकल्प निरस्त हो गया है।

सी.एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

RESOLUTION

New Delhi, the 19th August, 1993

F. No. RT-11034|1|93-MVL.—It has been decided to constitute a Chief Ministers' Committee to examine the issues relating to Octroi, its rationalisation and improvements in the method of its collection etc.

2. The Committee will consist of the following :—

(1) Chief Minister of West Bengal	—	Chairman
(2) Chief Minister of Bihar	—	Member
(3) Chief Minister of Gujarat	—	Member
(4) Chief Minister of Haryana	—	Member
(5) Chief Minister of Maharashtra	—	Member
(6) Chief Minister of Orissa	—	Member
(7) Dr. Raja Chelliah, Fiscal Adviser to the Government of India	—	Associate Member

3. Shri S. P. Bagla, Secretary to the Government of India, Ministry of Surface Transport, will be the Secretary of the Committee.

4. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To review the existing system of levy and collection of octroi in the States, where relevant, and identify the problems, if any, relating to delay, hardship and evasion ;

(ii) To examine various proposals for rationalisation of octroi structure and system of collection (as also suggested by the Ministry of Surface Transport) ; and

(iii) To suggest measures for rationalisation of the system of levy and collection of octroi and reduce evasion, delay and hardship, without affecting the resources of the State and the urban local bodies, and to examine any other related issues.

5. The headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee will devise its own procedures for its smooth and efficient functioning, as it considers necessary.

6. The Ministry of Surface Transport will provide the Secretariat for this Committee.

7. The Committee will submit its report by 31st January, 1994.

8. This supersedes earlier Resolution dated 13th August, 1993.

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993